XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला–भिण्ड

प्रकरण कमांक रिव्यू 1153–पीबीआर / 04 देवेन्द्र / रणजीत

न तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18–3–15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक निग.1201–तीन / 99 में पारित आदेश दिनांक 21–02–02 के विरूद्ध म.प्र.भू–राजस्व संहिता, 1959 :जिसे आगे केवल संहिता कहा जावेगाः की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक अभि. द्वारा ग्राह्यता बिन्दु पर दिए गए तर्को पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात / साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी । 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल / गलती । 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान नहीं होना पाया जाता । इसलिये इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों । (हस्ताक्षर) सदस्य	